रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-80/2023/1692/22-2-2022-17(353)/2022

लखनऊ:दिनांक: 28 फरवरी, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगवान सिंह (बन्दी संख्या-17061) पुत्र श्री खेमा, निवासी ग्राम-जसौली, थाना-मॉट, जनपद-मथुरा, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-669/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, मथुरा के आदेश दिनांक 28.01.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 16.01.2022 तक 08 वर्ष, 11 माह, 09 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष, 08 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-80/2023/1692(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in